



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

दूरभाष – 0145-2644501, फेक्स – 0145-2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.-II/2016-17/प्रे 17 दि: 5⁴/₁₂

स्पष्टीकरण

विषय:- ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन जारी किये जाने हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम द्वारा जारी आदेश वाणिज्य अ.ज. 220 दिनांक 12.07.2005 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी किये जाने हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। प्रायः यह देखा गया है कि क्षेत्राधिकारियों द्वारा आदेश की सही प्रकार से पालना नहीं की जा रही है।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी किये जाने हेतु ली जाने वाली निर्धारित दर के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं:-

(अ) ग्रामीण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र में एवं : निर्धारित दर – रु. 1500/- प्रति आबादी क्षेत्र से 300 मीटर की कनेक्शन दूरी तक)


(ब) मीटर बॉक्स की कीमत एवं मीटर : अवसूलनीय के प्रति प्रतिभूति राशि

वितरण तन्त्र (Mains)/300 मीटर से अधिक आपूर्ति लाईन के विस्तार की आवश्यकता होने पर लाईन के विस्तार हेतु निम्नांकित राशि वसूल की जावेगी।

सिंगल फेस एल.टी. लाईन हेतु : रु. 100/- प्रति मीटर

थ्री फेस एल. टी. लाईन हेतु : रु. 150/- प्रति मीटर

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।



(एन. एल. सालवी)

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर